रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 1975/आषाढ़ 19, 1897

No. 251] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 1975/ASADHA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July 1975

S.O. 347(E).—In exercise of the power conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government are hereby pleased to direct that the exhibition of the film entitled 'AANDHI' (Hindi) which has been granted a 'U' certificate No. 76721, dated the 4th January, 1975, by the Board of Film Censors, Bombay, be suspended for a period of two months with effect from the date of issue of this Notification.

[No. 9/3/75-FC]

S. M. MURSHED, Jt. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1975

एस० ओ० 347 (अ).—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि "आंधी" (हिन्दी) नामक फिल्म जिसको फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई, द्वारा 'यू' प्रमाण-पत्र संख्या 76721 दिनांक 4-1-75 प्रदान किया गया है, का प्रदर्शन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाये ।

[सं० 9/3/75-एफ० सी०]

एस० एम० मुरणेद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975